

समाहरणालय, कटिहार

आपदा प्रबंधन प्रशाखा



कँवल तनुज, मा०प्र०से०,

जिला पदाधिकारी, कटिहार

☎ :- 06452-230581(O) 06452-230583(R)
☎ :- +91-9473191375 फैक्स :- 06452230880
E-mail :- d m-katihar.bih@nic.in

—:: आदेश ::—

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-1252/आ०प्र० दिनांक-06.04.2020 एवं 1285/आ०प्र० दिनांक-09.04.2020 तथा 1511/आ०प्र० दिनांक-29.04.2020 के आलोक में CFMS Order No.-52 दि०-05.04.2020, 330 दिनांक-10.04.2020, 1090 दिनांक-29.04.2020, 1301 दिनांक-10.05.2020 तथा 1589 दिनांक-23.05.2020 के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात, लघुशीर्ष-112-जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष-0002-NA, विपत्र कोड 39-2245021120002, मांग संख्या 39, Allotment ID-241187, विषय शीर्ष-35-01-नगद/ वस्तुएँ के अन्तर्गत वर्तमान में मो० 1,00,00,000.00 (एक करोड़) रुपये मात्र आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त आवंटन में से जिला नजारत उपसमाहर्ता, कटिहार को पूर्व में उपावंटित राशि के अतिरिक्त वर्तमान "कॉलम-5" में अंकित राशि को उपावंटित करते हुए निकासी करने की स्वीकृति दी जाती है।

निदेश दिया जाता है कि इस उपावंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक-1734/आ०प्र० दिनांक-09.05.2020 एवं पत्रांक-1520/आ०प्र० दिनांक-30.04.2020 के आलोक में जनसंख्या का निष्क्रमण इकाई मद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जिलान्तर्गत कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन की अवधि में बाहर से आ रहे मजदूर, छात्र एवं अन्य व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय आवागमन की सशर्त अनुमति के आलोक में जिलान्तर्गत बाहर के फँसे प्रवासी मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से कटिहार जंक्शन से भभुआ रोड स्टेशन तक रेलवे के माध्यम से पहुँचाने हेतु किराये (UTS Ticket) का भुगतान हेतु जिला नजारत उपसमाहर्ता, कटिहार प्राप्त अभिश्रव के अनुसार मुख्य वाणिज्य पर्य०, पू०सी० रेल, कटिहार को राशि हस्तांतरित करना सुनिश्चित करेंगे। उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

उपावंटित की गई राशि की निकासी Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार को अचुक रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	विभाग से जिला को प्राप्त आवंटन	2245-02-112-0002-NA, जनसंख्या का निष्क्रमण (विषय शीर्ष-35-01-नगद/वस्तुएँ) इकाई मद में उपावंटित राशि			अभ्युक्ति
			पूर्व	वर्तमान	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7
1.	जिला नजा० उप०, कटिहार।	1,00,00,000/- (दि०23.05.2020)	17,92,000.00	8,96,000.00	26,88,000.00	
		कुल योग	17,92,000.00	8,96,000.00	26,88,000.00	

मो० (आठ लाख छियानवे हजार) रुपये मात्र।

(नोट :- प्राप्त आवंटन 1,00,00,000/- पूर्व व्यय 42,92,000/- वर्तमान व्यय 8,96,000/- अवशेष राशि 48,12,000/- रुपये)

ED/2
जिला पदाधिकारी,
कटिहार।